

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल केन्द्र ग्वालियर केम्प उज्जैन म०प्र०
प्र०क्र०- /05-06 निगरानी

R 1517-I/2006

श्रीमान/श्रीमती
अभिजाय व/र
3000 के (यु०)
18

- 1- मांगीबाई पत्नी रामनारायण माली - माली
 - 2- बद्रीलाल पिता नाथुलाल माली
 - 3- शंकरदास पिता मनोहरदास बैरागी
- समस्त निवासीगण छ - नीमच सिटी तहसील व जिला
नीमच म०प्र० ----- आवेदकगण

विरुद्ध

मांगुसिंह पिता गुलाबसिंह राजपुत निवासी नीमच सिटी
तहसील व जिला नीमच ----- विरुद्ध अनावेदक -

पुनर्रक्षण का आवेदनमत्र अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मु०रा०संहिता -


माननीय महोदय

आवेदकगण अधिनस्थ योग्य न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय जिला
नीमच के आदेश दिनांक -25-2-06 प्रकरण क्रमांक 5/निगरानी/05-06 से असंतुष्ट एवं
दुखित होकर एक निम्न कारणों के आधार पर पुनर्रक्षण याचिका अन्दर अर्वाधि प्रस्तुत
करते हैं :-

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. निग.०. 15.17-I/06. जिला नीमच

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
31-5-16	<p>अनावेदक अधिवक्ता श्री दिनेश व्यास व अनावेदक अधिवक्ता श्री शम्भुतिंद्र परिवार उपाक्षित । अनावेदक द्वारा आवेदन पत्र प्राप्त कर बताया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपील में अंतिम आदेश पारित हो चुका है, जिससे यह निगरानी निष्पत्तावी होगी, शीघ्र ही समाप्त की जाये । प्रकरण का अन्तर्गत विषय विषय, अतः यह निगरानी निष्पत्तावी हो जाने कारण समाप्त की जाती है ।</p>	<p style="text-align: right;">  अधक्ष </p>


 अधक्ष